

20/4/22

अभिलेख उपस्थापित।

उक्त अनुमति वाद में आवेदक अनुपस्थित रहे हैं। आवेदक को न्यायालय में उपस्थित होने एवं उक्त अनुमति वाद में अपना पक्ष रखने एवं भूमि संबंधी कागजात दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्ता  
बसिया(गुमला)।

27/6/22

अभिलेख उपस्थापित।

निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदक लम्बी अवधि से क्रेता एवं विक्रेता अनुपस्थित रहे हैं। उक्त वाद में आवेदक के द्वारा नोटिस तामिला होने के पश्चात् भी न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। आवेदक द्वारा दाखिल अनुमति वाद में किसी प्रकार अभिरुची एवं भूमि संबंधी कागजात दाखिल नहीं किया गया।

अतः उक्त अनुमति वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए अभिलेख बंद किया जाता है।

लेखापित ।



भूमि सुधार उप समाहर्ता  
बसिया(गुमला)।